


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 288 / 2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025 / 547) बअनवान, श्रीमती रुकमा देवी बनाम पृथ्वीसिंह इत्यादि</p>	<p>नंबर एवं तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए</p>
<p>11.05.2026</p>	<p>पत्रावली प्रेश हुई। वकूलाय उपस्थित। अपील पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से अपनी भूमि की पत्थरगढी की छूट चाही गई है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 03.10.2025 के जरिये अपीलांट को पत्थरगढी की कार्यवाही की छूट प्रदान की जाकर त्वरित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त छूट को निरंतर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व जारी पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने की छूट को निरंतर रखते हुए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (ओमप्रकाश विशनोई) राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अधीनस्थ प्राधिकारी जोधपुर </p>	